<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या-3/2020/062/18-2-2020-30(4)/2017</u>

प्रेषक

बृजेन्द्र कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण हेतु बजट में व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- संख्या-2/2020/534/18-2-2019-30(4)/2017, दिनांक 15 जनवरी, 2020, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि संदर्भगत शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित स्वीकृत धनराशि रू0 320.00 लाख के सापेक्ष शब्दों में "(रूपये चार करोड़ मात्र)" अंकित हो गया है एवं शासनादेश के पृष्ठांकन में क्रमांक-6 पर "जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा/बरेली/सहारनपुर/आजमगढ़/गाजियाबाद" हो गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत धनराशि रू0 320.00 लाख के सापेक्ष शब्दों में "(रूपये चार करोड़ मात्र)" के स्थान पर "(रूपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र)" एवं पृष्ठांकन के क्रमांक-6 पर "जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा/बरेली/सहारनपुर/आजमगढ़/गाजियाबाद" के स्थान पर "जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, अयोध्या/बस्ती/गोण्डा/मुरादाबाद" पढ़ा जाय। संदर्भगत शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश में वर्णित अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

बृजेन्द्र कुमार सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या-3/2020/062(1)/18-2-2020-30(4)/2017 -तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर को संदर्भगत आगणनों की प्रति सहित।
6. जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, अयोध्या/बस्ती/गोण्डा/मुरादाबाद।
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

बृजेन्द्र कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।